

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 48/2018 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00398

अपीलांटगण :-

बनाम

रेस्पोंडेन्टगण :-

1. परबतसिंह पुत्र स्व. देवीसिंहजी
2. बाबुसिंह पुत्र स्व. देवीसिंहजी
3. वेरसिंह पुत्र स्व. देवीसिंहजी,  
तमाम बालिग, जातिगण  
राजपूत, निवासीगण ग्राम  
चाणौद, तहसील सुमेरपुर,  
जिला पाली (राज.)

1. मृतक सरदारसिंह पुत्र चिमनसिंहजी  
के कायम मुकाम  
1/1. जीवी कंवर पत्नी स्व.  
सरदारसिंहजी  
1/2. छैलसिंह पुत्र स्व.  
सरदारसिंहजी  
1/3. लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व.  
सरदारसिंहजी  
1/4. मंजू कंवर पुत्री स्व.  
सरदारसिंहजी  
तमाम जातिगण राजपूत, निवासीगण  
चाणौद तहसील सुमेरपुर, जिला पाली  
(राज.)  
1/5. सूरज कंवर पुत्री स्व.  
सरदारसिंहजी, पत्नी गणपतसिंह,  
निवासी ग्राम चाणौद, तहसील  
सुमेरपुर हाल ससुराल ग्राम डेन्डा,  
तहसील व जिला पाली (राज.)  
1/6. अन्तर कंवर पुत्री स्व.  
सरदारसिंहजी, पत्नी शैतानसिंह,  
निवासी ग्राम चाणौद, तहसील  
सुमेरपुर हाल ससुराल ग्राम  
एन्दलावास ( जुनी एन्दला), तहसील  
व जिला पाली (राज.)
2. सोहनसिंह पुत्र चिमनसिंहजी  
तमाम बालिग, जाति राजपूत निवासी  
ग्राम चाणौद, तहसील सुमेरपुर, जिला  
पाली (राज.)
3. तीजो पत्नी उदारामजी, जाति  
चौधरी(सीरवी), निवासी ग्राम चाणौद,  
तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
4. राजस्थान सरकार (भुमिधारी) जरिये  
तहसीलदार सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर  
जिला पाली (राज.)



अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण के चौधरी उपस्थित  
रेस्पोंडेंट की ओर से अर्जुन सिंह राजपुरोहित उपस्थित  
-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 18-11-21

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 525 पारित दिनांक 04.01.2002 जो नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई है। अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम के मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा मूल नामान्तरकरण तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्ता बहस कथन किया कि ग्राम चाणौद पटवा चाणौद भू.अ.नि. क्षेत्र चाणौद तहसील सुमेरपुर के खसरा नम्बर 92 रकबा 1.19 हैक्टेयर बारानी सोयम व खसरा नम्बर 816 रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.61 हैक्टेयर लगान 7.70 रुपये की कृषि भूमि खातेदारी आई हुई स्थित है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकॉर्ड की जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 के अनुसार खातेदार स्व. श्री रतनसिंह वल्द चिमनसिंह कौम राजपूत की सहखातेदारी थी। उक्त कृषि भूमि के सहखातेदार

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमशः.....2

स्व. श्री रतनसिंह व अपीलांट्स के पिता स्व. देवीसिंह व रेस्पोंडेंटस संख्या 1 व 2 सगे भाई थे। स्व. रतनसिंह अविवाहित लाओलाद दिनांक 07.10.1990 को फौत हो जाने पर उनकी खातेदारी का अपीलाधीन जैर अपील नामान्तरकरण 525 दिनांक 04.01.2002 भरा गया। उक्त जैर अपील नामान्तरकरण भरते समय पटवारी हल्का ने तमाम विधिक उत्तराधिकारियों व वारिशानों की जांच किये बिना रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 से मिलावट कर उनको फायदा पहुँचाने व अपीलांटगण जो स्व. रतनसिंह के भाई स्व. देवीसिंह के विधिक वारिशान हैं को अपने हक अधिकार से वंचित रखने की नियत से उक्त नामान्तरकरण भर दिया गया। जो विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है। भू.अ.नि. ने पटवार हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुए अपनी अनुशंसा कर दी तथा उक्त दोनों की रिपोर्ट को सही मानते हुए अतिरिक्त तहसीलदार सुमेरपुर ने स्व. भबूतसिंह के विधिक उत्तराधिकारियों व वारिशानों की जांच एवं सुनवाई किये बिना अपीलांटगण को बिना जांच अवसर दिये ही नामान्तरकरण संख्या 525 दिनांक 04.01.2002 रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के हक में स्वीकृत कर दिया। जो विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है। क्योंकि स्व. रतनसिंह कौम राजपूत व अपीलाण्टस के पिता स्व. देवीसिंह व रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 सगे भाई थे व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची प्रथम के वर्ग 2 में अपीलाण्टस आते हैं जिससे स्व. भबूतसिंह की सम्पत्ति में इनका कानूनन विधि अनुसार हक अधिकार होने से जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। उक्त कृषि भूमि में अपीलांटस का 1/4 वां हिस्सा कानूनन होने से उनका जमाबन्दी में नाम होना था परन्तु राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के नाम इन्द्राज चला आ रहा है इस प्रकार स्पष्ट है कि जैर अपील नामान्तरकरण बिना विधिक वारिशानों की जांच किये एवं बिना उनको सूने भरा जाने से निरस्तनीय है। प्रतिवर्ष की भांति अपीलांटस द्वारा इस वर्ष भी उपरोक्त कृषि भूमि पर काश्त करने पर रेस्पोंडेंट व उनके परिवार वालों ने अपीलांटस से कहा " इस बार तो उक्त कृषि भूमि पर हम अकेले ही काश्त करेंगे। क्योंकि उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि हमारे नाम की राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज है, जिससे आप लोग उक्त कृषि भूमि में कोई हक-हिस्सा नहीं मांगते हो।" तब पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी प्राप्त की एवं तहसील कार्यालय में आवेदन कर सम्पूर्ण राजस्व रेकॉर्ड व अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 525 की नकलें दिनांक 31.08.2018 को प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की गई। इस प्रकार अपीलांटस को अपीलाधीन नामान्तरकरण के बारे में प्रथम बार जानकारी प्राप्त हुई। तथा जानकारी होते ही बिना किसी देरी के यह अपील पेश की गई अतः अपीलांट के विधिक अधिकार एवं हक हकूक का प्रश्न होने से अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार फरमाते हुए जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने वक्त बहस कथन किया कि स्व. रतनसिंह की मृत्यु वर्ष 1990 में ही हो चुकी थी। तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांटस द्वारा उनके विधिक उत्तराधिकारी होने का कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किया है। अतः अपील काबिले खारिज है। तथा अपीलांट द्वारा अपील जैर अपील नामान्तरकरण भरे जाने के 16 वर्ष बाद पेश की गई है तथा म्याद से 1 दिन देरी से पेश करने के भी तर्कसंगत कारण का उल्लेख करना होता है लेकिन अप्रार्थी द्वारा तो 16 वर्षों बाद अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट स्पष्ट रूप से म्याद बाहर होने से खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा अपने तर्कों की ताईद में RRD Sept., 2005, RRD Nov., 2005, Anandi Lal vs State of Rajasthan And ors. on 19 October, 1995, Chand Mal And Anr vs BOR Ajmer and Ors on 6 December, 2013 पेश किए।

पत्रावली में बहस सुनी गई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। इस अपील में विचारणीय बिन्दु दो हैं :-

1. क्या अपील अन्दर म्याद है ?
2. क्या अपीलार्थी विधिक उत्तराधिकारी होते हुए भी फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय वंचित रह गए ?

अपीलांटगण के पिताजी स्व. देवीसिंहजी के भाई स्व. रतनसिंह लाओलाद फौत हो जाने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार समस्त वारिशान की जांच कर उन्हें सुना जाकर जैर अपील नामान्तरकरण भरा जाना चाहिए था। ऐसा नहीं करने से रेस्पोंडेंट के हक अधिकार प्रभावित हुए हैं एवं वो अपने हक हकूक से वंचित हो गए हैं। उक्त खातेदारी भूमि में हक अधिकारों का प्रश्न होने तथा विधिक उत्तराधिकारीगण के नाम खातेदार की मृत्यु के पश्चात जैर अपील नामान्तरकरण में सभी वारिशान का नाम इन्द्राज नहीं करने से नामान्तरकरण **ab initio void** होने से म्याद के बिन्दु पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है एवं अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

राजस्व अपील :: 48/2018 "परबतसिंह बनाम मृतक सरदारसिंह के का.मु. वगैरा"

::3::

किसी व्यक्ति के फौत होने पर पुत्र, पुत्रियां, पत्नी व भाई हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूचि प्रथम के वर्ग 2 के अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से उनका नाम जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना था भबूतसिंह की लाओलाद मृत्यु होने पर उसके दो जीवित भाईयों सरदारसिंह व सोहनसिंह का नाम तो जैर अपील नामान्तरकरण में इन्द्राज किया गया लेकिन स्व. भबूतसिंह के अन्य विधिक उत्तराधिकारी स्व. देवीसिंह के पुत्रों का नाम इन्द्राज नहीं किया गया। अपीलांटगण के पिता स्व. भबूतसिंह के सगे भाई है जो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के पीछे सरपंच द्वारा प्रमाणित सजरे से स्पष्ट है। तथा अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा भी इसका विरोध नहीं किया गया है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण भरते समय स्व. देवीसिंह के जायन्दा जीवित संतानों का नाम भी जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना चाहिए था ऐसा नहीं कर अधिनस्थ नायब तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा जैर नामान्तरकरण पारित कर भारी विधिक त्रुटि की है। अतः स्पष्ट है कि जैर अपील नामान्तरकरण स्व. रतनसिंह के विधिक वारिशानों की बिना सही जांच किए भरा गया है तथा अपीलांटगण स्व. रतनसिंह के भाई स्व. देवीसिंह के जायन्दा पुत्र है अतः जैर अपील नामान्तरकरण **ab initio void** है ऐसे प्रारम्भ से शुन्य नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना विधिसम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 525 दिनांक 04.01.2002 ग्राम चाणौद जो नायब तहसीलदार, सुमेरपुर द्वारा स्वीकृत किया गया उसे अपास्त किया जाता है। एवं इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वर्गीय रतनसिंह के समस्त विधिक वारिसान एवं वर्तमान खातेदारों को नोटिस देकर सुना जाकर बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक **18-11-21** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।



*Ansh*  
(अंश दीप)  
जिला कलेक्टर, पाली  
जिला कलेक्टर, पाली